

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 99/84-85 19

यह प्रमाणित किया जाता है कि केशू कज्युमर यूनिटो एण्ड ट्रस्ट
सीसीईटी, जयपुर जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
नं. 28, 1953) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक २५/०६/५५ माह जून सन् एक हजार नौ सौ वींसी को
जयपुर में दिया गया ।

रा० मु० ००



टी.एन.माथुर
रजिस्ट्रार संस्थान, राजस्थान,
जयपुर ।